ज्ञापांकः— 348 / एम0, दिनांकः— 01/12/15

प्रेषित,

रामचन्द्र मेहता मनोज कुमार मेहता अमिताभ कुमार,
ग्राम— बीधा, पो0— फुलवरिया,
थाना— नवलशाही, जिला— कोडरमा।

विषयः— कोडरमा जिलान्तर्गत मौजा— परतांगो के थाना नं0— 354 के प्लौट सं0— 02 अंश के रकवा— 25.00 एकड़ क्षेत्र पर लघु खनिज पत्थर के खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु कागजात प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर वांछित कागजात को कार्यालय में प्रस्तुत करें।

1. पर्यावरणीय स्वीकृति (Enviroment Clearance) प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
2. आवेदित क्षेत्र का मूल नक्शा।
3. खतियान की अभिप्रमाणित प्रति।
4. चल/अचल सम्पति का पूर्ण ब्योरा।
5. आर्थिक सुदृढ़ता के सम्बन्ध में ठोस कागजी सबूत।
6. आवेदित क्षेत्र वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक— 1795, दिनांक— 18.06.2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अधिसूचना सं0— 3100-R, Dt- 28.10.1961 द्वारा अधिसूचित प्लौट है। आवेदित क्षेत्र पर खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त करना होगा।
7. वन संरक्षण अधिनियम' 1980 के तहत् केन्द्र सरकार की (Forest Clearance) पुर्वानुमति प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
8. अनुमोदित माईनिंग प्लान।
9. आयकर अदायगी प्रमाण पत्र अथवा आयकर बकाया नहीं रखने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
10. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम— 9 के उपनियम— 8 के आलोक में शपथ पत्र।
11. पार्टनरसीप डीड।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कागजातों को प्रस्तुत करें। वन संरक्षण अधिनियम' 1980 के तहत केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। ताकि खनन पट्टा का निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सहायक खनन पदाधिकारी
कोडरमा।